विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2015

सा.का.नि.162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत मंत्रालय (स्टॉफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत मंत्रालय में स्टॉफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, स्टॉफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	3* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष* (केन्द्रीय सरकार द्वारा पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

(6)
टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । *यदि 'सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है', तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो । (ii) मोटर यान की यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी के पास यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने का सामर्थ्य होना चाहिए) । (iii) मोटर कार चालन का कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव । (iv) दसवां स्तर पास । **वांछनीय :** (i) होम गार्ड अथवा सिविल सेवी के रूप मे तीन वर्ष की सेवा **टिप्पण 1:** अनुभव से संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(7)
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति का आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा **सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए :** प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** विद्युत मंत्रालय में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह-ग) और समूह ग कर्मचारियों में से जो मोटर कार चालन की सक्षमता निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार के चालन की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारण करता हो, जिसके न हो सकने पर ऐसे पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करते हों या केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में से नियमित आधार पर के समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तंभ 7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं रखते हों । **सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति **(पुष्टि के मामलों पर विचार करने हेतु)** 1. निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष विद्युत मंत्रालय	लागू नहीं होता ।

(12)
2. अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय —सदस्य 3. अवर सचिव (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)/(सामान्य)विद्युत मंत्रालय —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II)	1* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-1, 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900 में ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्ष की नियमित सेवा और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, व्यवसाय परीक्षण पास किया हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु) 1. निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन) विद्युत मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय —सदस्य 3. अवर सचिव (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)/(सामान्य)विद्युत मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I)	1* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2800	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-1, 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400 में ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राईवर II और स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) में 15 वर्षों की सम्मिलित सेवा के साथ ; सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, व्यवसाय परीक्षण पास किया हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु) 1. निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन) विद्युत मंत्रालय –अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय –सदस्य 3. अवर सचिव (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)/(सामान्य)विद्युत मंत्रालय –सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 9/1/2014-प्रशा.II]

ब्रज मोहन, निदेशक

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 12th August, 2015

G.S.R.162 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Power (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 2005, except as things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Ministry of Power, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Power, Staff Car Driver (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. —The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. Schedule.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	3* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus grade pay of Rs. 1900	Not applicable	18-25 years* (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination,' the age limit would be 18 to 27 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Possession of valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The Candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at-least 3 years; and (iv) Pass in 10th Standard. **Desirable:** 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation or absorption grades from which deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-empolyment	Deputation/absorption : From amongst the regular Despatch Rider (Group C) and Group C employees in Pay Band-1 Rs. 5200-20200 grade Pay Rs. 1800 in the Ministry of Power, who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Pay Band-1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs.1800 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualification as mentioned in column 7.

(11)
Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation cases) 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power —Chairman 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Power —Member 3. Under Secretary (Schedule Caste/ Schedule Tribe)/(General) Ministry of Power —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Staff car Driver (Grade-II)	1*(2015) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus grade pay of Rs. 2400	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	**Promotion :** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Pay Band-1 Rs. 5200- 20200 grade pay Rs.1900 with 9 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion cases) 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power —Chairman 2. Under Secretary (Administration), Ministry of Power —Member 3. Under Secretary (Schedule Caste/ Schedule Tribe)/(General) Ministry of Power —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Staff car Driver (Grade-I)	1*(2015) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus grade pay Rs. 2800	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	**Promotion :** Staff Car Driver Gr. II in Pay Band-1 Rs. 5200-20200 Grade pay Rs.2400 with 6 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.

(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion cases)		Not applicable.
1. Director of Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power	—Chairman	
2. Under Secretary (Administration), Ministry of Power	—Member	
3. Under Secretary (Schedule Caste/ Schedule Tribe)/(General) Ministry of Power	—Member	

[F. No. 9/1/2014-Admn.II]

BRAJ MOHAN, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.